प्रेस को सूचना नोट (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 03/2022)

तत्काल प्रकाशन के लिए

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

भा.दू.वि.प्रा. (ट्राई) के परामर्श पत्र "भारत में डेटा केंद्रों, कॉन्टेंट वितरण नेटवर्क और इंटरकनेक्ट एक्सचेंजों की स्थापना के माध्यम से डेटा अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए नियामक ढांचा" पर टिप्पणियां/ प्रति-टिप्पणियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि का विस्तार।

नई दिल्ली, 10 जनवरी 2022 - भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने 16 दिसंबर 2021 को 'भारत में डेटा केंद्रों, कॉन्टेंट वितरण नेटवर्क और इंटरकनेक्ट एक्सचेंजों की स्थापना के माध्यम से डेटा अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए नियामक ढांचा' पर एक परामर्श पत्र जारी किया था । हितधारकों से परामर्श पत्र में उठाए गए मुद्दों पर लिखित टिप्पणियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि 13 जनवरी 2022 और प्रति-टिप्पणियों के लिए 27 जनवरी 2022 निर्धारित की गई थी।

2. हितधारकों ने उक्त परामर्श पत्र पर अपनी टिप्पणी भेजने के लिए समय बढ़ाने की मांग की है। हितधारकों के अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए, लिखित टिप्पणियों और प्रति-टिप्पणियों को जमा करने की अंतिम तिथि क्रमशः 03 फरवरी, 2022 और 17 फरवरी, 2022 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।

3. टिप्पणियाँ/ प्रति-टिप्पणियों अधिमानतः इलेक्ट्रॉनिक रूप में advbbpa@trai.gov.in पर भेजी जा सकती हैं, और एक प्रति क्रमशः jtadvbbpa-1@trai.gov.in और jtadvbbpa-3@trai.gov.in पर भेजे। किसी भी स्पष्टीकरण/सूचना के लिए श्री संजीव कुमार शर्मा, सलाहकार (ब्रॉडबैंड एवं नीति विश्लेषण), भादूविप्रा से दूरभाष क्रमांक+91-11-11-23236119 पर संपर्क किया जा सकता है।

RAJIV SINHA
Digitally signed by RAJIV SINHA
Date: 2022.01.10 17:54:27 +05'30'

(राजीव सिन्हा)
सचिव प्रभारी, भा.दू.वि.प्रा.